रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022020-215918 CG-DL-E-04022020-215918

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499] No. 499] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2020/माघ 15, 1941 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2020/MAGHA 15, 1941

रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे)

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2020

का.आ. 537(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 के 24 की धारा 2 के खंड 37क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी, जनता को लोक कल्याण हेतु राष्ट्रीय मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्रमश हरियाणा राज्य में भूमि के अधिग्रहण के लिए एक विशेष रेल परियोजना के रूप में "हरियाणा ऑर्बिटल रेल कोरिडोर प्रोजेक्ट पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर और खरखौदा" नई बड़ी गेज रेल लाईन कार्य को अधिसूचित किया जाता है।

[सं. 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]

ए. के. लाहोटी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(NORTHERN RAILWAY) (CONSTRUCTION ORGANIZATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2020

S.O. 537(E).—In Exercise of the power conferred by clause (37A) of section 2 of the Railway's Act-1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies "Haryana Orbital Rail Corridor Project from Palwal to Sonipat via Sohna, Manesar and Kharkhoda" New Broad Gauge Double Rail Line as a **Special Railway Project** for acquisition of land in *Haryana* for providing National infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]

A. K. LAHOTI, Chief Administrative Officer/Construction

693 GI/2020